पूर्व मध्य रेल
परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 08/2019
(OPERATING SAFETY ALERT NO.08/2019)

विषयः ब्लॉक सेक्शन में रूकी गाड़ी की रक्षा/बचाव करने के संबंध में।

सामान्य नियम एवं सहायक नियम 6.03 में वर्णित निर्देश के अनुसार जब कोई गाड़ी किसी ब्लॉक सेक्शन में किसी दुर्घटना, विफलता, अवरोध या किसी अन्य असाधारण कारण से खड़ी हो जाती है तो गाड़ी की रक्षा/बचाव करने हेतु गाड़ी का गार्ड एवं लोकोपायलट/सहायक लोकोपायलट उत्तरदायी हैं।

दिनांक 05.12.2019 को मुगलसराय मंडल में रफीगंज और इस्माईलपुर स्टेशनों के बीच गुड्स ट्रेन न0 SMI-31373 कि0मी0 500/02 पर गर्म घूरा एवं पार्टिंग के कारण ब्लॉक सेक्शन में खड़ी थी लेकिन उक्त गाड़ी के गार्ड ने गाड़ी के बचाव (Protection) के लिए पटाखा (Detonator) का उपयोग नहीं किया था। ऐसी लापरवाही विषम दुर्घटना का कारण हो सकती है। श्री राकेश कुमार, गार्ड/गया को इसके लिए निलंबित (Suspend) कर दिया गया है।

अतः सभी मंडलों को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित कर्मचारियों को गाड़ी के बचाव (Protection) से संबंधित सामान्य एवं सहायक नियम 6.03 एवं 6.08 में वर्णित नियमों से काउंसलिंग ड्राइव के माध्यम से अवगत करावे एवं संरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करें।

(सलिल कुमार झा)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

सं0:ई.सी.आर/परि.संरक्षा/चेतावनी/73/505 दिनांक 10.12.2019

प्रतिलिपिः

(1) सचिव/महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुर :– महाप्रबंधक महोदय के सूचनार्थ।
(2) मुख्य संरक्षा अधिकारी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(3) मंडल रेल प्रबंधक– धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
(4) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक– धनबाद,दानापुर,मुगलसराय,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(5) वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी– धनबाद,दानापुर,मुगलसराय,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

11/12/19 11-12-19 (15) copies 11-12-19 13:20